न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

.....

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2320–II/2001 विरूद्ध आदेश दि
29–11–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण क
79/1999–2000/अपील.

.....

1/ बैजनाथ पुत्र पन्नालाल

निवासी ग्राम कतरोल तहसील मेहगांव

जिला भिण्ड

2/ शिवदयाल पुत्र पन्नालाल (मृतक) वारिसान –

1/ श्रीमती निर्मला देवी पत्नि स्व. श्री शिवदयाल

2/ दयानन्द

3/ परमानन्द

4/ धर्मेन्द्र

5/ शैलेन्द्र

6/ आनन्द

7/ बुधेन्द्र

पुत्रगण स्व. श्री शिवदयाल

समस्त निवासी कतरोल मेहगांव

जिला भिण्ड

8/ श्रीमती देवी पुत्री स्व. श्री शिवदयाल

पत्नि विजय कुमार

निवासी सुनारपुर मेहगांव

जिला भिण्ड ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1/ मुन्नीलाल पुत्र रामगोपाल

2/ कालीचरन पुत्र रामगोपाल
समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीगण
ग्राम दंदरौआ, तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री एम0 पी0 भटनागर, अभिभाषक आवेदक ।
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक अनावेदक ।

आदेश

(आज दिनांक 1- 7- 2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 79/99–2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–11–2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील मेहगांव के ग्राम अंतरोल स्थित विवादित भूमि पर वर्ष 1972 के कब्जे के आधार पर आवेदकों द्वारा कब्जे का इन्द्राज अभिलेख में किए जाने बावत आवेदन दिनांक 25.6.92 को दिया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत विचारण न्यायालय ने आवेदकों का कब्जा दर्ज किए जाने का आदेश दिया । इस आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि संहिता की धारा 114 एवं 121 में कब्जा लिखे जाने की व्यवस्था दी गई है । आवेदक ने जो आवेदन दिया था वह कब्जा दर्ज करने के संबंध में था और आवेदन में गलत धारा लिखने से प्रकरण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने विधिवत प्रकिया अपनाते हुए इश्तहार का प्रकाशन कराकर तथा अनावेदकों को सूचना दी जाकर तथा राजस्व निरीक्षक से जांच कराई जाकर एवं साक्षियों के कथन लेने तथा ग्राम पंचायत, कतरौल के पंचनामा के आधार पर आवेदकों का कब्जा प्रमाणित पाते हुए खसरे में कब्जा अंकित करने के आदेश दिए गये हैं, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है । अपर आयुक्त ने बिना किसी ठोस आधार के निगरानी स्वीकार की है इस कारण उनका आदेश निरस्ती योग्य है ।

यह भी तर्क दिया गया कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया है । यद्यपि यह आदेश एकपक्षीय आदेश होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय का ध्यान अपर आयुक्त का आदेश के पैरा 5 की ओर दिलाते हुए कहा गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश दिया है जिसमें कोई त्रुटि नही है । यह भी कहा गया कि राजस्व मंडल के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है अतः उसका कोई आधार नहीं है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । अभिलेख से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा अंकित करने के संबंध में है जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रारंभ हुआ है । आवेदक के इस तर्क में बल है कि यदि आवेदन में गलत धारा का उल्लेख कर दिया गया है तो उससे प्रकरण के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता है और आवेदन का निराकरण उपयुक्त उपबंध के अधीन किया जाना चाहिए । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1985 आर0एन0 199 एवं 388 अवलोकनीय हैं । इन न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – गलत धारा का उल्लेख – इसके

बावजूद सही धारा के अधीन सहायता प्रदान की जाना चाहिए एवं आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता – उपयुक्त उपबंध के अधीन सहायता दी जाना चाहिए । अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदन को संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत माने जाने के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक नहीं है ।

6/ अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा अंकित करने के आदेश देने से पूर्व विधिवत राजस्व निरीक्षक से स्थल मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है एवं साक्षीगण रामभरोसे एवं गंगाराम के ब्यान तथा सरपंच द्वारा प्रस्तुत पंचनामा के आधार पर आवेदकगण का कब्जा प्रमाणित पाते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा अंकित करने के आदेश दिए हैं । न्यायदृष्टांत 1995 आर0एन0 366 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> " संहिता की धारा 41 नि0 1 तथा धारा 121, नि0 6, 7 एवं 8 – पटवारी का कर्त्तव्य – वह खेत के वास्तविक निरीक्षण के अनुसार खसरा में कब्जे की प्रविष्टि करने के लिए आबद्ध है – उसके द्वारा कब्जे की प्रविष्टि नहीं की जाना – उपचार – तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जा सकता है । "

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2004 आर0एन0 365 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> " संहिता की धारा 121 एवं नियम 6, 7 एवं 8, धारा 41 नियम 1 – पटवारी आधिपत्य दर्ज किये जाने हेतु कर्त्तव्याधीन है । पटवारी द्वारा दायित्व का निर्वाह न किए जाने पर तहसील न्यायालय से यह अपेक्षा की जा सकती है और उसके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।

प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है और उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालय के आदेश को

निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2001 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–98 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर